

डिगरी व मुकदमे ईवादाई

अज अदालत - उप जिला कलक्टर सैपऊ
व इजलास - ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या-10/2018

- 1-देवीसिंह पुत्र तुलुआ जाति काछी निवासी ग्राम खपरैला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर वादी
- 1-हीरासिंह पुत्र तुलुआ जाति काछी निवासी ग्राम खपरैला 2-शिवचरन पुत्र तुलुआ जाति काछी प्रतिवादीगण
- 3-पी0एन0बी0 बैंक शाखा सैपऊ जरिये प्रबन्धक तरतीवी प्रतिवादीगण
- 4-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ, जिला धौलपुर प्रतिवादीगण
- 5-रामप्यारी पत्नी किशनलाल जाति कुशवाह निवासी चैना का पुरा 6-श्रीमती पत्नी सन्तोष जाति कुशवाह निवासी खपरैला प्रतिवादीगण
- 7-ममतादेवी पत्नी वासदेव जाति कुशवाह निवासी खपरैला प्रतिवादीगण

दावा बटवारा कार्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा
आधीन धारा 53 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रुबरू मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुददई श्री हजरत खां एडवोकेट एवं मिनजानिव मुददायलह श्री हरिवीरसिंह, विष्णुकुमार एडवोकेट को पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। कि दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम खपरैला, राजा का नगला पटवार हल्का कूकरा-मांकरा तहसील सैपऊ के बावत पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

क्र0सं0	वाकेग्राम	ख0नं0	रकवा	किस्म	लगान
1-	खपरैला	1011	1-00	न.दो.	3.00
2-	खपरैला	1223	1-02	न.दो.	3.30
3-	खपरैला	1232/2	1-10	न.दो.	4.50
4-	खपरैला	1141/3	0-08	न.अ.	2.00
5-	राजा का नगला	188/2	0-09	न.अ.	2.25
योग	किता-5	रकवा- 4-09	बीघा -		15.05

क्र0सं0	वाकेग्राम	ख0नं0	रकवा	किस्म	लगान
1-	खपरैला	1002	1-10	न.प्र.	6.00
2-	खपरैला	1225	1-02	न.दो.	5.85
3-	खपरैला	1232/1	1-01	न.दो.	3.15
4-	खपरैला	1141/1	0-09	न.अ.	2.25

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

राजा का नगला 188/1

योग	किता-5	रकवा-4-09 बीघा	न.अ.	2.50	
3-शिवचरन पुत्र तुलुआ जाति काछी सा0 देह खातेदार।	क्र0सं0	वाकेग्राम ख0नं0	रकवा	किस्म	लगान
1-	खपरैला	1085	1-02	न.दो.	3.30
2-	खपरैला	1225	1-00	न.दो.	3.00
3-	खपरैला	1232/3	1-10	न.दो.	4.50
4-	खपरैला	1141/2	0-08	न.अ.	2.00
योग	किता-4	रकवा-4-00 बीघा	-	-	12.80

योग	किता-1	रकवा-0-09 बीघा	न.अ.	2.25	
4-शिवचरन पुत्र तुलुआ के स्थान पर वीरनदेई पत्नी दिवाईलाल जाति कुशवाह सा0 भोले का नगला तहसील बसेडी खातेदार इ.नं. 411	क्र0सं0	वाकेग्राम ख0नं0	रकवा	किस्म	लगान
1-	खपरैला	188/3	0-09	न.अ.	2.25
योग	किता-1	रकवा-0-09 बीघा	-	-	2.25

योग	किता-1	रकवा-0-02 बीघा	न.अ.	-	
5-हीरासिंह, देवीसिंह, शिवचरन पिसरान तुलुआ हि0ब0 जाति काछी सा0 देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा सैपऊ मु0वि0क0	क्र0सं0	वाकेग्राम ख0नं0	रकवा	किस्म	लगान
1-	खपरैला	1014	0-02	गै.मु.कुआ	-
योग	किता-1	रकवा-0-02 बीघा	-	-	-

योग	किता-1	रकवा-0.1770 हैक्टेयर	न.अ.	-	
6-हीरासिंह पुत्र तुलुआ जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सैपऊ	क्र0सं0	वाकेग्राम ख0नं0	रकवा	किस्म	लगान
1-	खपरैला	1115/2	0.1770	न.अ.	-
योग	किता-1	रकवा-0.1770 हैक्टेयर	वाकेग्राम खपरैला	-	-

नोट:-विभाजन प्रस्ताव में अंकित नोट अनुसार हीरासिंह फौत होने के कारण उसके वारिस बच्चूसिंह, प्रेमसिंह पुत्रान हीरासिंह एवं सरोज, मीरा, ओमवती पुत्रीयान हीरासिंह जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार को अंकित किया गया है अतः हीरासिंह के स्थान पर उसके वारिसान के नाम अंकित किया जावे।

योग	किता-1	रकवा-0.1770 हैक्टेयर	न.अ.	-	
7-देवीसिंह पुत्र तुलुआ जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सैपऊ	क्र0सं0	वाकेग्राम ख0नं0	रकवा	किस्म	लगान
1-	खपरैला	1115/3	0.1770	न.अ.	-

उपखण्ड अधिकारी
सैफऊ

किता-1

रकवा-0.1770 हैक्टे0 वाकेग्राम खपरैला

8-शिवचरन पुत्र तुलुआ जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सैपऊ
क्र0सं0 ख0नं0 रकवा किस्म
1- 1115/1 0.1771 न.अ.

योग किता-1 रकवा-0.1771 हैक्टे0 वाकेग्राम खपरैला

नोट:-आराजी खसरा नम्बर 188 रकवा 1 बीघा 8 विस्वा में से 1/3 हिस्सा वीरनदेई पत्नी दिवाईलाल जाति कुशवाह निवासी भोले का नगला तहसील बसेड़ी से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रार्थीया ममतादेवी पत्नी वासदेव जाति कुशवाह निवासी खपरैला एवं हीरासिंह पुत्र तुलुआ जाति काछी निवासी खपरैला तहसील सैपऊ से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा 1/3 हिस्सा प्रार्थीया रामप्यारी देवी पत्नी किशनलाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम चैना का पुरा तहसील व जिला धौलपुर एवं रामप्यारी देवी पत्नी किशनलाल से 1/3 हिस्सा प्रार्थीया श्रीमती पत्नी सन्तोष जाति कुशवाह द्वारा क्रय किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र-आदेश-1 नियम-10 सी.पी.सी. व सपठित धारा-151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने के कारण पक्षकार प्रकरण बनाया गया है। अतः उक्त पूर्व खातेदारों के स्थान पर प्रार्थना पत्र आदेश-1 नियम-10 सी.पी.सी. व सपठित धारा-151 सी.पी.सी. के पक्षकारों के नाम हिस्सा अनुसार अंकित किये जावे।

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक-दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

वशब्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10.11.2022 को जारी की गई।



(ललित मीना)

उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

नोट - ख.नं०-188/3 वाकेग्राम खपरैला के स्थान पर वाकेग्राम
शजा का नगला एवं विन्दु संख्या-5 पर अंकित ख.नं०
1014 के स्थान पर 1115 पदा जावे।

उपखण्ड अधिवक्त्री
सैपऊ

नोट- क्र० सं०-2 पर अंकित आराजी ख० नं०-1295 का रकवा 1-02 के
स्थान पर 0-19 विस्वा पदा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी:-ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या-10/2018

1-देवीसिंह पुत्र तुलुआ जाति काछी निवासी ग्राम खपरैला तहसील सैपऊ जिला धौलपुरवादी

बनाम

1-हीरासिंह पुत्र तुलुआ जाति काछी निवासी ग्राम खपरैला 2-शिवचरन पुत्र तुलुआ जाति काछी निवासी ग्राम खपरैला तहसील सैपऊ जिला धौलपुरप्रतिवादीगण

3-पी0एन0बी0 बैंक शाखा सैपऊ जरिये प्रबन्धक

4-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ, जिला धौलपुरतरतीवी प्रतिवादीगण

5-रामप्यारी पत्नी किशनलाल जाति कुशवाह निवासी चैना का पुरा 6-श्रीमती पत्नी सन्तोष जाति कुशवाह निवासी खपरैला 7-ममतादेवी पत्नी वासदेव जाति कुशवाह निवासी खपरैलाप्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा
आधीन धारा 53 आर.टी.एक्ट



- उपस्थिति- 1-श्री हजरत खां एडवोकेट(वादी)
2-श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट.....(प्रतिवादीगण संख्या-1,2)
3-श्री विष्णुकुमार एडवोकेट.....(प्रतिवादीगण संख्या-5, 6, 7)

निर्णय

दिनांक 10.11.2022

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते विवादित आराजी खसरा नम्बर 1002, 1011, 1085, 1114, 1115, 1141, 1223, 1225, 1232 वाकेग्राम खपरैला एवं खसरा नम्बर 188 रकवा 01 बीघा 08 विस्वा वाकेग्राम राजा का नगला तहसील सैपऊ का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। राजस्व लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 15.05.2018 को दावा वादी प्रतिवादीगण प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा दिनांक 24.05.2018 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। जिन्हें न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2019 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया एवं खसरा नम्बर 1115 पर विवाद होने के कारण ऐहतराज स्वीकार किया गया एवं आराजी खसरा नम्बर 1115 के विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब किये गये। तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांक:राजस्व/2022/352 दिनांक 23.05.2022 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1115 वाकेग्राम खपरैला के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये पृथक से खसरा नम्बर 188 का तरमीम नक्शा अपने पत्रांक:राजस्व/2022/656 दिनांक 04.11.2022 भिजवाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान वादी एवं प्रतिवादीगण अभिभाषक को सुना गया तथा विद्वान प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1115 के सम्बन्ध में ऐहतराज पेश किया गया। प्रस्तुत ऐहतराज पर उभयपक्ष को सुना गया। ऐहतराज एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत ऐहतराज सारहीन होने के कारण खारिज किया गया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के बावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम खपरैला, राजा का नगला पटवार हल्का कूकरा-मांकरा तहसील सैपऊ के बावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

क्र०सं०	वाकेग्राम	ख०नं०	रकवा	किस्म	लगान
1-	खपरैला	1011	1-00	न.दो.	3.00
2-	खपरैला	1223	1-02	न.दो.	3.30
3-	खपरैला	1232/2	1-10	न.दो.	4.50
4-	खपरैला	1141/3	0-08	न.अ.	2.00
5-	राजा का नगला	188/2	0-09	न.अ.	2.25

योग किता-5 रकवा- 4-09 बीघा - 15.05

क्र०सं०	वाकेग्राम	ख०नं०	रकवा	किस्म	लगान
1-	खपरैला	1002	1-10	न.प्र.	6.00
2-	खपरैला	1225	1-02	न.दो.	5.85
3-	खपरैला	1232/1	1-01	न.दो.	3.15
4-	खपरैला	1141/1	0-09	न.अ.	2.25
5-	राजा का नगला	188/1	0-10	न.अ.	2.50

योग किता-5 रकवा- 4-09 बीघा - 19.75

3.शिवचरन पुत्र तुलुआ जाति काछी सा० देह खातेदार।

क्र०सं०	वाकेग्राम	ख०नं०	रकवा	किस्म	लगान
1-	खपरैला	1085	1-02	न.दो.	3.30
2-	खपरैला	1225	1-00	न.दो.	3.00
3-	खपरैला	1232/3	1-10	न.दो.	4.50
4-	खपरैला	1141/2	0-08	न.अ.	2.00


उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

योग

किता-4

रकवा- 4-00 बीघा

12.80

4-शिवचरन पुत्र तुलुआ के स्थान पर वीरनदेई पत्नी दिवाईलाल जाति कुशवाह सा० भोले का नगला तहसील बसेडी खातेदार इ.नं. 411

क्र०सं०	वाकेग्राम	ख०नं०	रकवा	किस्म	लगान
1-	खपरैला	188/3	0-09	न.अ.	2.25

योग किता-1 रकवा- 0-09 बीघा - 2.25

5-हीरासिंह, देवीसिंह, शिवचरन पिसरान तुलुआ हि०ब० जाति काछी सा० देह खातेदार राहिन पी०एन०बी० शाखा सैपऊ मु०वि०क०

क्र०सं०	वाकेग्राम	ख०नं०	रकवा	किस्म	लगान
1-	खपरैला	1014	0-02	गै.मु.कुआ	-

योग किता-1 रकवा- 0-02 बीघा - -

6-हीरासिंह पुत्र तुलुआ जाति कुशवाह सा० देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1-	1115/2	0.1770	न.अ.

योग किता-1 रकवा-0.1770 हैक्टेयर वाकेग्राम खपरैला

नोट:-विभाजन प्रस्ताव में अंकित नोट अनुसार हीरासिंह फौत होने के कारण उसके वारिस बच्चूसिंह, प्रेमसिंह पुत्रान हीरासिंह एवं सरोज, मीरा, ओमवती पुत्रीयान हीरासिंह जाति कुशवाह सा० देह खातेदार को अंकित किया गया है अतः हीरासिंह के स्थान पर उसके वारिसान के नाम अंकित किया जावे।

7-देवीसिंह पुत्र तुलुआ जाति कुशवाह सा० देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1-	1115/3	0.1770	न.अ.

योग किता-1 रकवा-0.1770 हैक्टे० वाकेग्राम खपरैला

8-शिवचरन पुत्र तुलुआ जाति कुशवाह सा० देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1-	1115/1	0.1771	न.अ.

योग किता-1 रकवा-0.1771 हैक्टे० वाकेग्राम खपरैला


 उपखण्ड अधिकारी
 सैपऊ

नोट-आराजी खसरा नम्बर 188 रकवा 1 बीघा 8 विस्वा में से 1/3 हिस्सा वीरनदेई पत्नी दिवाईलाल जाति कुशवाह निवासी भोले का नगला तहसील बसेडी से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रार्थीया ममतादेवी पत्नी वासदेव जाति कुशवाह निवासी खपरैला एवं हीरासिंह पुत्र तुलुआ जाति काछी निवासी खपरैला तहसील सैपऊ से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा 1/3 हिस्सा प्रार्थीया रामप्यारी देवी पत्नी किशनलाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम चैना का पुरा तहसील व जिला धौलपुर एवं रामप्यारी देवी पत्नी किशनलाल से 1/3 हिस्सा प्रार्थीया श्रीमती पत्नी सन्तोष जाति कुशवाह द्वारा क्रय किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र-आदेश-1 नियम-10 सी.पी.सी. व सपठित धारा-151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने के कारण पक्षकार प्रकरण बनाया गया है। अतः उक्त पूर्व खातेदारों के स्थान पर प्रार्थना पत्र आदेश-1 नियम-10 सी.पी.सी. व सपठित धारा-151 सी.पी.सी. के पक्षकारों के नाम हिस्सा अनुसार अंकित किये जावे।

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक-दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.11.2022 को खुले न्यायालय

में सुनाया गया।



उप जिला कलक्टर

सैपऊ
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

नोट- खसरा नम्बर-188/3 बाकेग्राम खपरैला के स्थान पर बाकेग्राम राजा का नगला एवं विन्दु सैख्या-5 पर अंकित ख.नं.-1014 के स्थान पर 1114 पदा जावे।

उपखण्ड अधिव
सैपऊ

नोट- क्र. सं.-2 पर अंकित आराजी ख. नं. 1225 का रकवा 1-02 के स्थान पर 0-19 विस्वा पदा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ